न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 78 / 2008

कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री कृष्ण जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां

..वादी

♠ बनाम ♠

1. अमरलाल पुत्र भैरिया
2. गिर्राज पुत्र भैरिया
3. परमानन्द पुत्र किशना
4. जगन्नाथ पुत्र भैरिया

} जातियान मीणा निवासी तिसाया तह0 मांगरोल

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री अजित कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांकः 16.05.2008

निर्णय दिनांक : 11.06.2018

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तिसाया में खाता संख्या 59 तथा पुराना 55 वादी तथा प्रतिवादी कम 1 ता 4 की शामलाती खाते की भूमि खसरा नं0 834 रकबा 0.93 हे0 तथा खसरा नं0 837 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 रकबा 0.98 है0 भूमि स्थित है जो बतौर खातेदार वादी तथा प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज है। उक्त वाद पत्र में भैरिया किशना पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 विवादित भूमि है। भैरिया किशना पुत्र नारायण जिनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 3 है। उक्त हिस्से पर भैरिया किशना के वारिसान द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी काश्त नही किया है। उक्त हिस्से पर लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से वादी करीब 100 वर्ष से अपने पूर्वजो सहित काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए उपरोक्त भूमियों पर वादी का कब्जा होने के कारण स्वतः ही खातेदार बन चुका है। इसलिए उक्त हिस्से पर वादी को भैरिया किशना की मृत्यु उपरान्त वादी को बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जाना अति आवश्यक है जिसका वादी अधिकारी है। अतः ग्राम तिसाया में खाता संख्या 59 खसरा नं0 834 रकबा 0.93 हे0 तथा खसरा नं0 837 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 रकबा 0.98 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 भैरिया किशना पुत्र नारायण का नाम बतौर खातेदार हटाकर वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक घोषित कर

स्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी को खुर्द बुर्द व बेचान नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.05.2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिहं गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता भंवर सिहं गौड ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो कि निम्न प्रकार हैः–

1. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
2. वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
6. वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
8. वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।

विशेष कथन में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि खाता संख्या 59 नया 55 पुराना की खसरा नं0 834 की 0.93 है0, खसरा नं0 837 की 0.5 है0 कुल किता 2 रकबा 0.98 है0 का कब्जा प्रतिवादीगण 1 ता 3 का होना जाहिर किया तथा उन्होने 1/3 जगन्नाथ पुत्र भैरिया तथा कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री कृष्ण का नाम हटाने का निवेदन किया। तदुपरान्त वादीगण ने काउण्टर क्लेम का जवाबउल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त भूमियों पर भैरिया किशना पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 को कभी भी काश्त नही किया है लगभग 100 वर्षो से वादी का कब्जा चला आ रहा है। और प्रतिवादीगण ने अपने जीवनकाल में वादी को अपने कब्जे में कोई चुनौति दी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यो में वादी ने अपने कब्जे के समर्थन में धारा 80 नोटिस प्रदर्श 1 रसीद एडी प्रदर्श 2 तथा जमाबंदी प्रदर्श 4 प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस ग्राम तिसाया प्रदर्श 6 जमाबंदी 2037–40 तथा प्रदर्श 5 ए से लगायत प्रदर्श 10 ए तक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा शपथ पत्र बयान गवाह रफीक मंसूरी पुत्र अब्दुल गनी मुसलमान निवासी तिसाया, रामगोप पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी तिसाया, रामकिशन पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी तिसाया तथा गवाह कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा निवासी तिसाया, मांगीलाल पुत्र

जाति मीणा निवासी तिसाया घनश्याम पुत्र केदारलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तथा अब्दुल पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी तिसाया उम्र 75 वर्ष तथा केदार लाल उम्र 76 वर्ष पुत्र श्री घुनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने बयानो में दोहराया कि ग्राम तिसाया में स्थित भूमि में श्रीकृष्ण 1955 से पूर्व काश्त करता आ रहा है। तथा 1955 में मेरी उम्र 14 वर्ष थी तथा उसके बाद उक्त भूमियों पर कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री कृष्ण काश्त करता आ रहा है 01.01.1955 से पूर्व उक्त भूमियों पर कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्री कृष्ण का निरन्तर कब्जा चला आने से उक्त भूमियां हिस्सा 1/3 वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा भैरिया किशना पिता नारायण हिस्सा 1/3 पर हमने कभी भी काश्त करते हुए नही देखा तदोपरान्त प्रतिवादीगण की तरफ से कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियां काश्त की है तथा उनके विरूद्ध प्रतिवादीगण एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यो को अवलोकन करने के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तिसाया में स्थित भूमि खसरा नं0 834 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 837 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.98 है0 में से प्रतिवादीगण भैरिया किशना पिता नारायण हिस्सा 1/3 हजफ किया जाकर वादीगण को उक्त खाता संख्या 59 की 2 किता 0.98 है0 में 2/3 का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को निर्देषित किया जाता है कि भैरिया किशना पुत्र नारायण हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादी कन्हैयालाल दत्तक पुत्र श्रीकृष्ण का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प तिसाया मजमेंआम में सुनाया गया।